# लोकतांत्रिक मूल्य और महात्मा गाँधी

**डॉ0 नीलिमा सिंह**
एसो0 प्रोफे0, राजनीतिविज्ञान विभाग, राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद

***सारांश***

*भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है और लोकतांत्रिक मूलय स्वयं में प्रतिष्ठित हैं सर्वव्यापी हैं परन्तु उन मूल्यों का विश्लेषण सन्दर्भ विशेष में भिन्न–भिन्न रूप में किया जाता है। महात्मा गाँधी की लोकतंत्र की कल्पना अहिंसा के सिद्धान्त पर आधारित थी और वे राज्य विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे जिसमें सत्याग्रही ग्राम समुदायों का संघ होगा और जिसकी कार्यप्रणाली स्वैच्छिक सहयोग और गरिमामय शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पर निर्भर थी जो वर्तमान भारतीय लोकतंत्र के सन्दर्भ में प्रासंगिक है। गाँधी जी स्वशासन और स्वराज्य को वास्तविक लोकतंत्र मानते थे। आज के समय में असमानता, असहिष्णुता तथा घृणा, हिंसा को बढ़ावा दे रही है। अतः गाँधी जी के लोकतांत्रिक मूल्य और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में गाँधी जी के लोकतांत्रिक मूल्यों सम्बन्धी विचारों को विश्लेषित कर वर्तमान परिस्थितियों में उनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।*

***महत्वपूर्ण शब्द*** *– लोकतांत्रिक मूल्य, समानता, अधिकार, स्वतंत्रता, अहिंसा, सत्याग्रह*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः
**डॉ0 नीलिमा सिंह,**
*''लोकतांत्रिक मूल्य और महात्मा गाँधी''*
शोध मंथन,
सितम्बर 2017,
पेज सं0 140–145
http://anubooks.com/?page_id=581
Artcile No.19 (SM 457)

भारतीय जनमानस के लिए बापू, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में लोकप्रिय और नोबल पुरस्कार विजेता गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा 'महात्मा' की उपाधि से विभूषित मोहन दास करम चन्द गाँधी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो न केवल भारत वरन् विश्व के लिए आज भी मार्गदर्शक, प्रेरणा पुंज एवं ज्ञान स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित हैं। शान्ति, समन्वय, सहिष्णुता, सद्भाव और सदाचार के अग्रदूत, अहिंसा और सत्याग्रह के प्रतीक, सामाजिक व राजनीतिक समग्रता के प्रवर्तक, भारतीय स्वातंत्रय आन्दोलन के पुरोधा, बंधन मुक्त मानवता एवं शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थक और एक साधक की जिन्दगी जीते हुए मनुष्य एवं महात्मा की उपाधि प्राप्तकर्ता मोहनदास करम चन्द गाँधी भारत भूमि की विशिष्टतम विभूति हैं और वैश्विक मानवता की अक्षय निधि हैं।[1]

वर्तमान विश्व में लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है और सरलतम शब्दों में लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा तथा जनता का शासन है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्र व निष्पक्ष राजनीतिक सहभागिता, न्याय आदि महत्वपूर्ण मूल्य निहित हैं और गाँधी जी के विचार दर्शन का विश्लेषण किया जाये तो गाँधी जी के विचारों में यह मूल्य स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। यह सत्य है कि गाँधी जी कोई राजनीतिक विचारक न थे और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि 'गाँधीवाद' जैसी कोई विचारधारा नहीं है। वे स्वतंत्रता आन्दोलन के सक्रिय नेता व कार्यकर्ता थे और एक ऐसे कर्मयोगी थे जिन्होंने अपने कार्यों एवं अनुभवों के आधार पर, व्यवहारिकता के धरातल पर अपने सिद्धान्तों और आदर्शों का प्रतिपादन किया। वे केवल इन सिद्धान्तों और आदर्शों के प्रणेता ही नहीं थे वरन् उनको व्यवहारिकता के धरातल पर प्रभावी करने का प्रयास भी करते थे। महात्मा गाँधी के राजनीतिक विचारों पर दृष्टि डाली जाये तो सर्वप्रथम उनके द्वारा प्रतिपादित आदर्श रामराज्य की अवधारणा सामने आती है। वे राज्यविहीन समाज के समर्थक थे अर्थात् वे अराजकतावादी विचारधारा के समर्थक थे जिसमें आत्मचिन्तन, आत्मनिर्भरता और प्राथमिकता पर आधारित पारस्परिक सहयोग प्रमुख था। परन्तु गाँधी जी स्वयं आशवस्त नहीं थे कि अहिंसा आधारित राज्यविहीन समाज यथार्थ रूप में अस्तित्व में आ सकेगा। अतः विकल्प के रूप में उनके विचारों में लोकतंत्र का समर्थन प्रस्फुटित होता है।

वस्तुतः आदर्श या 'रामराज्य' राज्य रहित जनतंत्र है। यह शुद्ध अराजकता की ऐसी स्थिति है जिसमें सामाजिक जीवन ऐसी संपूर्णता को पहुँच जाता है कि वह स्वयं संचालित हो जाता है। ऐसे समाज में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होती, क्योंकि कोई राज्य नहीं होता। वे राज्य को एक साधन मानते हैं जिसको मूल कर्तव्य सभी के अधिकतम हित की प्राप्ति में सहयोग से है। ऐसे राज्य की संप्रभुता के विषय में उनका मत है कि 'शुद्ध नैतिक सत्ता पर आधारित जनता की संप्रभुता ही श्रेष्ठ है।' ऐसा तभी संभव है जब समाज में स्वराज्य हो अर्थात अनुशासनपूर्ण आंतरिक शासन हो न कि सभी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त। ऐसे राज्य में जनता को राज्य सत्ता के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह या विरोध करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। उन्हीं के शब्दों में 'सच्चा स्वराज्य कुछ मनुष्यों के राज्य सत्ता प्राप्त करने से नहीं आयेगा बल्कि राज्य सत्ता का दुरुपयोग

होने पर सबको उसका विरोध करने की क्षमता प्राप्त करने से आयेगा। दूसरे शब्दों में स्वराज्य जनता को इस प्रकार शिक्षित करने से प्राप्त होगा कि इसमें सत्ता पर नियंत्रण रखने और उसका नियमन करने की क्षमता की चेतना आ जाये।[2]

लोकतंत्र को महान संस्था मानते हुए गाँधी जी ने सदैव इसके दुरुपयोग के प्रति सचेत किया। गाँधी जी द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सत्य, अहिंसा, शांतिपूर्ण विरोध, सत्याग्रह, अधिकार, स्वतंत्रता, कर्तव्य सम्बन्धी, विचार लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं। गाँधी जी ने विकेन्द्रीकरण का समर्थन कर पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया। गाँधी क्रान्तिकारी राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को अस्वीकार किया क्योंकि इसमें सत्ता का केन्द्रीकरण होने से व्यक्तिगत स्वातंत्रय का लोप हो जाता है। पश्चिमी लोकतंत्र को तो उन्होंने छद्म, फासिस्ट एवं नाजीवाद की संज्ञा दी क्योंकि इसमें दल मुख्य होता है एव ंदल में दलपति की भूमिका निरंकुश होती है। अतः इसमें जनता के द्वारा जनता का राज्य नहीं होगा बल्कि एक दल का और उसके दादाओं का शासन होता है। इसलिए गाँधी ने संसद को एक वैश्या एवं बाँझ महिला की संज्ञा दी। इसलिए उन्होंने पंचायत, ग्राम स्वराज्य एवं वर्तुल पद्धति से शासन प्रक्रिया का समर्थन किया।[3]

महात्मा गाँधी विदेशी शासन समाप्त करने के साथ देश में सभी प्रकार के शोषण से रहित लोकतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गाँधी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन काल में ही रचनात्मक कार्यक्रमों का आरम्भ कर दिया था।[4] सविनय अवज्ञा सिद्धान्त भी लोकतंत्र की मूल अवधारणा के ही अनुरूप है। गाँधी जी के अनुसार सामान्य रूप से कानून का हार्दिक सम्मान किया जाये, केवल अन्यायपूर्ण कानून को ही तोड़ा जाये, ऐसे कानून का उल्लंघन सर्वथा अहिंसात्मक होना चाहिए, यह कार्यवाही सार्वजनिक रूप से करनी चाहिए, छिपकर नहीं और कानून तोड़ने पर जो दंड मिले उसे सहर्श स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर सविनय अवज्ञा का सहारा तभी लेना चाहिए जब अनुनय–विनय के सारे प्रयास किये जा चुके हों और वे विफल हो चुके हों।[5]

षासन स्तर पर गाँधी जी की दृश्टि में स्वराज सच्चे लोकतंत्र का पर्याय था। उनका कहना था कि इने–गिने लोगों को सत्ता प्राप्त हो जाने से सच्चा स्वराज नहीं आ जायेगा। सच्चा स्वराज तब आयेगा जब कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग होने पर सब लोग उसका विरोध करना सीख जायेंगे और इसके लिए उपयुक्त नम्रता प्राप्त कर लेंगे।[6] लोकतंत्र के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि सच्चा लोकतंत्र अथवा जनता का स्वराज असत्य और हिंसा के उपायों से कभी नहीं आ सकेगा। इसका सीधा कारण यह है कि उनके प्रयोग का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि विरोधि ायों को दबाकर उनका सफाया करके सारा विरोध समाप्त कर दिया जायेगा ऐसे वातावरण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं पनप सकती। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो विशुद्ध अहिंसा के राज्य में ही पूरी तरह से कार्य कर सकती है।[7]

महात्मा गाँधी के अनुसार लोकतंत्र वह है जहाँ कमजोर को सशक्त के समान ही

अधिकार प्राप्त हों। गाँधी जी के लिए राज्य अथवा लोकतंत्र जैसी व्यवस्था अन्तिम आदर्श नहीं हो सकते। से संस्थायें राजनीतिक शक्ति पर आधारित हैं। इसलिए यह व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों को बेहतर बनाने का साधन हैं। 2 जुलाई, 1931 को यंग इण्डिया में गाँधी जी ने लिखा 'मेरे लिए राजनीतिक शक्ति साध्य नहीं वरन् एक साधन है जो लोगों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिस्थितियों को बेहतर बनाने में सहायता करता है। राजनीतिक शक्ति का अर्थ है राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय जीवन का नियमन करने की क्षमता।'[8] गाँधी जी प्रचलित संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने माना कि इस प्रार के शासन में ईमानदारी और जनकल्याण की भावना से काम न होकर ढ़ोंग तथा प्रदर्षन का बोलबाला अधिक रहता है। गाँधी जी प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दोशों को दूर करने के सुझाव देते हुए कुछ ठोस बातें रखते हैं। उनके अनुसार चुनाव का वही अधिकारी हो सकता है जो स्वार्थहीन होकर, समाज सेवा की भावना से प्रेशित होकर चुनाव लड़ना चाहता है। गाँधी जी संसद सदस्यों को वेतन देने के भी विरुद्ध थे, उन्होंने माना कि वे स्वयं अपना जीविकोपार्जन अपने पसीने की कमाई से करते रहेंगे। इन लोगों को किसी भी हालत में राष्ट्रीय आय की तुलना से अधिक नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने माना कि यदि कोई अपने साधारण जीवन में 25 रुपया प्रतिमाह से संतुष्ट रहता है तो उसे एक मंत्री बन जाने पर या शासन में कोई और पद मिल जाने पर अधिक पाने का कोई अधिकार नहीं है।[9]

गाँधी के चिन्तन के मूल में स्वतंत्रता है, यह स्वतंत्रता व्यक्ति की है और साथ ही यह परिस्थिति निरपेक्ष भी है। व्यक्ति का ध्येय आत्म साक्षात्कार अथवा सत+चिन्तन+आनन्द की प्राप्ति करना है, अतः सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थायें ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में जरा भी बाधक न हों, बल्कि सहायक हों।[10] गाँधी जी समानता के महान पक्षधर थे। वे सभी प्राणियों में एक सी आत्मा तथा समान नैतिक तत्वों का विद्यमान होना मानते थे। इसलिए प्रत्येक दृष्टि से सब मनुष्य समान हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में गाँधी जी का विचार था कि सभी को नस्ल, कार्य, लिंग आदि के भेद–भाव के बिना समान अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय सामाजिक जीवन में जाति–पाति, ऊँच–नीच को बढ़ावा देने की प्रथा अस्पृश्यता को गाँधी जी ने समाज पर कलंक बताकर उसे दूर करने का जीवन पर्यन्त कार्य किया।[11] गाँधी जी ने व्यक्ति के अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी महत्ता दी। गाँधी जी के शब्दों में अपने कर्तव्य के पालन का अधिकार ही एकमात्र ऐसा मूल्यवान अधिकार है जिसके लिए मनुष्य जी भी सकता है और मर भी सकता है। उसमें उचित अधिकारों का समावेश है। व्यक्ति को अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति कर्तव्य पालन की क्षमता प्राप्त कर ले तो उसे अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाते हैं।[12]

इस प्रकार गाँधी जी के विचारों में लोकतांत्रिक मूल्य विद्यमान हैं और उन्होंने सदैव अपने विचारों एवं कार्यों से उन्हें पूर्णतया स्थापित करने का प्रयास किया। रोनाल्ड टर्थेक मानते हैं कि गाँधी का प्रजातांत्रिक सिद्धान्त में मुख्य योगदान यह नहीं है कि वह बहुलवाद या प्रतिनिध्यात्मक

प्रजातंत्र के विकल्प में कुछ विशिष्ट संस्थाओं का उल्लेख करते हैं, लेकिन उनका महत्व इस बात में है कि उन्होंने राजनीति के बारे में सामान्य स्तर पर और प्रजातंत्र के बारे में विशेष स्तर पर नये प्रकार से सोचने के लिए राजनीतिक सिद्धान्तकर्त्ताओं को मजबूर किया। वे एक ऐसी सरकार की व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे जो न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे, व्यक्ति की सत्यनिष्ठा की भी रक्षा करे, अपितु अहिंसा को भी बढ़ावा दे। इस प्रकार प्रजातांत्रिक सिद्धान्त से अहिंसा को जोड़ना गाँधी जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने प्रजातंत्र को केवल एक राजनीतिक तंत्र के रूप में ही नहीं देखा था। वे मानते थे कि प्रजातंत्र एक भावना है और समाज के अन्य सिद्धान्तों के सन्दर्भ में इसे परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने उन सरकारों की आलोचना की जो केवल राजनीतिक और कानूनी रूप से प्रजातांत्रिक थीं लेकिन प्रजातंत्र को जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार नहीं करती थी।[13]

जहाँ तक वर्तमान भारतीय लोकतंत्र का परिप्रेक्ष्य है गाँधी जी के विचार अति प्रासंगिक हो जाते हैं। सर्वप्रथम राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन में विजय द्वारा हिंसा का सहारा लिया जाना, साम्प्रदायिक ताकतों का सबल हो असहिष्णुता एवं घृणा को प्रोत्साहन देना, सांसदों द्वारा निरन्तर पारिश्रमिक में वृद्धि की माँग, विरोधी पक्ष की बात न सुनना आदि भारतीय लोकतंत्र में व्याप्त बुराईयों को गाँधी के दिखाये मार्ग पर चलकर ही दूर किया जा सकता है। गाँधी जी ने कर्तव्य पर बल दिया था परन्तु आज अधिकांश जनता कर्तव्य भूलकर अधिकारों की माँग कर रही है। आज भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौती है। काहिरा से लेकर जकार्ता तक जिस प्रकार लोकतंत्र संकट में है उसी प्रकार आज भारत का लोकतंत्र भी पुलिस एवं अर्द्ध सैनिकों की गोलियों एवं भीड़ की ईंट पत्थर के बीच अलविदा कह रहा है। गाँधी ने पूर्व में ही कह दिया था कि आजादी के बाद सैनिक–पुलिस की शक्ति एवं नागरिक शक्ति के बीच टक्कर अनिवार्य है।[14] अतः गाँधी के विचारों को आत्मसात कर शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से शांति–सद्भाव का पाठ पढ़ाकर शान्ति स्थापना तथा लोकतंत्र की रक्षा का प्रयास अति आवश्यक है।

गाँधी जी का चिन्तन काल्पनिक नहीं वरन् व्यावहारिक है। लॉसी फिशर ने लिखा है 'यदि मनुष्य को जीवित रहना है, यदि सभ्यता को जीवित रहना है तथा स्वतंत्रता, सत्य और 20वीं शताब्दी के शेष वर्षों में प्रजातंत्र को खिलना है तो गाँधी से जुड़ना चाहिए।' उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण या तथाकथित वैश्विकता मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। हमें गाँधी जी की वैश्विकता की आवश्यकता है जिसमें न युद्ध न विजय न शोषण हो।[15] अन्त में न केवल भारतीय लोकतंत्र वरन् विश्व के लोकतंत्र की रक्षा के साथ–साथ मानवता की रक्षा के लिए गाँधी जी के विचार प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे।

## सन्दर्भ

*1. त्रिपाठी, प्रकाशमणि – गाँधी चिन्तन का तात्विक आधार और औचित्य – भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका वर्ष द्वितीय अंक (प्रथम, द्वितीय (संयुक्तांक) जनवरी–दिसम्बर, 2010, पृष्ठ 75*

2. सिन्हा, मनोज सं0 – गाँधी अध्ययन, सिन्हा, शुभा – गाँधी चिन्तन : उदय, पृष्ठ 167, ओरियन्ट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, 2010, पृष्ठ 167 ISBN 978812504023

3. सिंह, रामजी – गाँधी और गाँधी विचार का सौर मण्डल, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 43 ISBN 978-81-8330-272-2

4. विवके, राम लाल – महात्मा गाँधी जीवन और दर्शन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2004, पृष्ठ 122

5. गाबा, ओम प्रकाश – भारतीय राजनीति–विचारक, मयूर पेपर बैक्स, 2008, पृष्ठ 186

6. गाबा, ओम प्रकाश – भारतीय राजनीति–विचारक, मयूर पेपर बैक्स, 2008, पृष्ठ 187

7. विवेक राम लाल – महात्मा गाँधी जीवन और दर्शन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2004, पृष्ठ 118

8- Kumar, Ravindra and Dangwal, Kiran Lata- Gandhi Democacy and Fundamental Rights, http://www.mkgandhi.org/articles/democracy .htm

9. कुमार, हरीश – गाँधी सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 126, ISBN 81-8330-040-5

10. कमल, के0एल0 – भारतीय राजनीतिक चिन्तन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2015 पृष्ठ 216 ISBN 978-93-5731-146-1

11. विवेक राम लाल – महात्मा गाँधी जीवन और दर्शन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2004, पृष्ठ 123

12. विवेक राम लाल – महात्मा गाँधी जीवन और दर्शन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2004, पृष्ठ 193

13. दधीच, नरेश – महात्मा गाँधी का चिंतन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2014, पृष्ठ 134, ISBN 978-81-3160671-1

14. सिंह, रामजी – गाँधी और गाँधी विचार का और मण्डल, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 2, ISBN 978-81-8330-272-2

15. Singh, Ramjee - Mahatma Gandhi Man of the Millenium, Commonwelath Publishers Pvt. Ltd., Daryaganj, New Delhi, Page No. 212, ISBN-978-81-311-0304-3